मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ10–5/2014/सत्रह/मेडि–2 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2014

प्रति,

1 समस्त विभागाध्यक्ष
मध्यप्रदेश।

2. समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

3 समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

4 समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

5 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः- एसिड से हमले की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने बाबत्।

–0–

1. राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा बनाए रखने एवं उनके उत्थान के लिये दृढ संकल्पित है। एसिड के हमले की बढ़ती हुई घटनाओं के संबंध में दायर रिट पिटीशन क्रमांक–129/2006 लक्ष्मी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य – में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2013 को आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह आदेश महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों को एसिड हमले से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का सार निम्नानुसार है :–

1.1 एसिड के विक्रेताओं द्वारा विक्रय पंजी संधारित की जाए, जिसमें एसिड के क्रेता का नाम, पता एवं विक्रित एसिड की मात्रा क्रय का उद्देश्य/कारण अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। क्रेता द्वारा विक्रेता को अपना शासकीय फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्यतः दिखाना होगा, तभी उसे एसिड का विक्रय किया जाएगा। विक्रय पंजी में दर्ज शेष स्टाक को प्रत्येक 15 दिन के अंतराल से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को विक्रेता द्वारा प्रस्तुत करना होगा। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को एसिड का विक्रय नहीं किया जाएगा। यदि किसी विक्रेता के पास एसिड का ऐसा स्टाक पाया जाता है, जो अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रस्तुत विवरण में घोषित नहीं किया गया हो, तो अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ऐसे अघोषित स्टाक को जब्त किया जाकर विक्रेता पर रूपये 50 हजार तक का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के किन्हीं भी निर्देश का उल्लंघन करने की स्थिति में भी अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दोषी व्यक्ति पर रूपये 50 हजार तक का जुर्माना किया जा सकेगा।

1.2 शिक्षण संस्थाओं, रिसर्च लेबोरेटरीज, अस्पताल, शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा एसिड रखने एवं उसका संग्रहण करने के संबंध में एक पंजी संधारित की जायेगी, जिसमें एसिड के संग्रहण एवं उपयोग का संपूर्ण विवरण दर्ज किया जायेगा। यह विवरण संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। संबंधित संस्थाओं/विभागों द्वारा एसिड संबंधी समस्त कार्य करने के लिए एक व्यक्ति विशेष को नामांकित किया जाये। ऐसा नामांकित व्यक्ति परिसर में एसिड के सुरक्षित संग्रहण करने, उसका पूर्ण हिसाब दर्ज करने आदि के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। एसिड संग्रहण स्थान से जो भी व्यक्ति/छात्र बाहर जायेगा, उसकी अनिवार्य रूप से चेकिंग करने की जिम्मेदारी भी इस नामांकित व्यक्ति की होगी।

1.3 संबंधित अनुविभागीय अधिकारी दण्डाधिकारी इन निर्देशों का उल्लघंन करने या निर्देशों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे।

1.4 एसिड हमले से पीड़ित व्यक्ति को इलाज एवं मुआवजे के रूप में रूपये तीन लाख की राशि दी जायेगी। रूपये एक लाख की राशि एसिड का हमले होने से 15 दिन में और शेष रूपये दो लाख की राशि उसके बाद के दो माह में पीड़ित व्यक्ति को अनिवार्यतः दी जायेगी। इस संबंध में राज्य सरकार योजना बनाकर आवश्यक निर्देश प्रसारित करें।

2. विष अधिनियम– 1919 संपूर्ण देश में प्रभावशील है, जिसमें सभी प्रकार के विष और एसिड शामिल हैं। इनमें कई मानव शरीर के लिए काफी घातक हैं। विष अधिनियम–1919 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्मित विष (मध्यप्रदेश) नियम–1960 प्रदेश में प्रभावशील है। विष अधिनियम एवं विष नियम के प्रमुख प्रावधानों का सार निम्नानुसार है:–

2.1 विषों की सूची विष नियम (संशोधन 1981) की प्रथम अनुसूची में दी गई है। इस सूची में विभिन्न एसिड्स एवं कोरोसिव पदार्थ शामिल हैं। इनमें जिन प्रमुख खतरनाक एसिड्स एवं कोरोसिव पदार्थ का उपयोग ज्यादा होता है, उनके उदाहरणस्वरूप नाम इस प्रकार हैं:– 1. काइसोफेनिक एसिड, 2. हायड्रोसायनिक एसिड, 3. हायड्रोक्लोरिक एसिड, 4. हायड्रोफ्लोरिक एसिड, 5. नायट्रिक एसिड, 6. ऑक्सेलिक एसिड, 7. सल्फरिक एसिड। सपूर्ण सूची के लिए अनुसूची–1 का भलीभांति का अध्ययन कर लें। विष विक्रेता द्वारा जिला दण्डाधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना विषों का विक्रयार्थ संग्रह एवं विक्रय किया जाना प्रतिबंधित है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वंय विष का विक्रय किया जायेगा। फर्म अथवा कंपनी के मामले में किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ही विष का विक्रय किया जायेगा। क्रेता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। क्रेता द्वारा विष का क्रय करने के पूर्व प्रारूप "बी" में परमिट जिला दण्डाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी से प्राप्त कर विक्रेता को देना होगा। फार्म "बी" के परमिट में अंकित मात्रा का ही विक्रय क्रेता को किया जा सकेगा। मेडिकल तथा वेटरनरी प्रेक्टीशनर को अपने व्यवसाय में विष का उपयोग तथा संग्रहण करने के लिये विष क्रय करने के परमिट की आवश्यकता नहीं है।

2.2 लायसेंसधारी विकेता को विषों के विकय हेतु रजिस्टर का संधारण करना आवश्यक है, जिसके एक भाग में विष का नाम, विकय की गई मात्रा, विकय का दिनांक, केता का नाम एवं पता, परमिट का कमांक एवं दिनांक तथा परमिट की फाइल का संदर्भ, केता की उम्र, विष कय करने का कारण, केता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान तथा विकेता के हस्ताक्षर अंकित होंगें। रजिस्टर के दूसरे भाग में प्रत्येक विष के लिए प्रत्येक दिन किये गये विकय के संबंध में प्रविष्टी अंकित की जायेगी। विकेता द्वारा समस्ता परमिट एवं समस्त कय आदेश दो वर्ष तक संरक्षित रखे जायेंगे। द्वितीय अनुसूची में दिये गये फार्म "सी" में विषों का विषवार मासिक स्टॉक रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें कय विकय एवं बैलेंस स्टॉक संबंधी प्रविष्टियॉ अंकित होंगी।

2.3 समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, उप निरीक्षक से अन्यून समस्त पुलिस अधिकारीगण, नायब तहसीलदार से अन्यून समस्त राजस्व अधिकारीगण, सहायक चिकित्सा अधिकारी से अन्यून समस्त चिकित्सा अधिकारीगण व औषधि निरीक्षकों को निरीक्षण के अधिकार दिये गये हैं। विष को सुरक्षित रूप से बंद पात्र अथवा पैकेट में ही विकय किया जा सकेगा तथा उक्त पात्र अथवा पैकेट पर लाल रंग का लेबल लगाया जायेगा जिसमें **Poison** शब्द अंग्रेजी तथा हिन्दी में लिखा रहेगा तथा विकय रजिस्टर में अंकित कमांक एवं दिनांक की प्रविष्टी का कम संख्या का भी उल्लेख किया जायेगा।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 जुलाई 2013, विष अधिनियम–1919, मध्यप्रदेश विष नियम 1960, विष (संशोधन) नियम 1981 तथा एसिड हमले के पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे देने संबंधी शासन की योजना आदि की प्रति स्वास्थ्य विभाग की वेब साइट **http://www.health.mp.gov.in/** पर अपलोड कर दी गई है। आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी आदेशों, विधि प्रावधानों, नियमों एवं निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। इनकी प्रतियां अपने समस्त अधीनस्थों को भी प्रंदाय की जाए, ताकि वे सभी इन प्रावधानों एवं निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर सके।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देशों, विष अधिनियम 1919 एवं मध्यप्रदेश विष नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्देश तत्काल प्रभाव से पालन करने हेतु प्रसारित किये जाते हैं:–

4.1 संविधान का अनुच्छेद 141 निम्नानुसार है:–

" The law declared by the supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India."

4.2 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 18.07.2013 में दिये गये निर्देश संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत देश का कानून है, जिसका अक्षरशः पालन करना बाध्यकारी है। जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अन्य समस्त अधिकारीगण इन निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करायें।

4.3 विष अधिनियम 1919 एवं मध्यप्रदेश विष नियम 1960, विष (संशोधन) नियम 1981 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन कराया जाये।

4.4 विष तथा एसिड पदार्थों के विकेताओं को चिन्हित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि विकेता लायसेन्स प्राप्त करने के बाद ही इनका विकय करें। बिना लायसेन्स इनका विकय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि उनके पास लायसेंस नहीं हो तो ऐसे पदार्थों को तत्काल जप्त किया जाये और उनके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा इस पत्र की कडिण्का 1.1 में वर्णित जुर्माना अधिरोपण की कार्यवाही की जाये।

4.5 विष नियम के अन्तर्गत प्रत्येक लायसेन्सधारी विकेता के पास विकय पंजी का संधारण सुनिश्चित कराया जाये। नियमों और माननीय उच्चतम न्यायालय के निदशा में अपेक्षित समस्त विवरण इस विकय पंजी में दर्ज कराना सुनिश्चित कराया जाये।

4.6 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की मंशा को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी को परमिट जारी करने के लिए अधिकृत किया जाये। एसिड केता द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी से परमिट प्राप्त किया जायेगा। परमिट की वैधता जारी करने के दिनांक से एक माह तक रहेगी। एक माह बाद परमिट समाप्त माना जायेगा। केता को पुनः परमिट प्राप्त करने के लिए नवीन आवेदन देना होगा। परमिट दो प्रतियों में जारी किया जायेगा। एक प्रति जारी करने वाले कार्यालय में संधारित रहेगी तथा दूसरी प्रति विकेता द्वारा पृथक से इस हेतु संधारित नस्ती में सुरक्षित रखी जायेगी। ऑनलाइन परमिट प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। जब तक ऑनलाइन व्यवस्था स्थापित नहीं होती, तब तक नियमों के अनुसार मेन्युअल तरीके से परमिट जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

4.7 लायसेन्सधारी विकेता द्वारा एसिड का विकय उसी व्यक्ति को किया जायेगा, जिसके पास वैध परमिट हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, जिसके द्वारा शासन द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मूलतः विकेता को दिखाया जायेगा एवं उस पहचान पत्र की एक छायाप्रति विकेता को भी देगा। शासकीय पहचान पत्रों में – ड्रायविंग लायसेन्स, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, फोटोयुक्त राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि मान्य होंगे। केता द्वारा प्रस्तुत मूल परमिट तथा फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति विकेता अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखेगा तथा उनका इंद्राज विकय पंजी में भी करेगा।

4.8 यदि किसी संस्थान द्वारा एसिड का कय किया जा रहा है तो संस्थान द्वारा एसिड कय करने के लिए संस्थान के किसी उत्तरदायी व्यक्ति को नामांकित किया जायेगा। ऐसे नामांकित व्यक्ति को संस्थान द्वारा लिखित में प्राधिकृत पत्र जारी किया जायेगा। इस प्राधिकृत पत्र की प्रति नामांकित व्यक्ति द्वारा परमिट जारी करने वाले कार्यालय में एवं विकेता को देनी होगी। विकेता यह प्रति अपने अभिलेखों में अन्य कागजातों के साथ सुरक्षित रखेगा।

4.9 लायसेन्सधारी विकेता द्वारा विक्रित एवं शेष विष/एसिड का विवरण प्रत्येक पखवाड़े के अंत में अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। यह विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत करने की व्यवस्था स्थापित की जा रही है। जब तक ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ न हो तब तक लायसेंसधारी विकेता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में नियमित रूप से प्रस्तुत की जायेगी।

4.10 जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि एसिड का विकय सीलबंद पैकेट में ही किया जाये और पैकेट के ऊपर लाल रंग का लेबल लगाना होगा। खुले एवं बिना लेबल लगे एसिड का विकय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में निम्नांकित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेः–

4.10.1 सीलबंद पैकेट पर लगाये जाने वाले लेबल पर विकेता द्वारा निम्नांकित जानकारी का अंकन करना अनिवार्य होगा।

- एसिड का नाम एवं उसकी मात्रा।
- एसिड के **concentration** का प्रतिशत।
- विकेता का पूरा नाम एवं पता।
- विकेता के लायसेन्स का नम्बर।
- पैकिंग का दिनांक।
- एसिड की **Expiry** का दिनांक।
- एसिड का उपयोग करने में रखी जाने वाली सावधानी संबंधी निर्देश।
- "विष" अथवा **"Poison"** शब्द इस चेतावनी के साथ अंकित किया जायेगा कि "यह विष मानव जीवन के लिए घातक है और इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखा जाये।"
- यह टीप भी अंकित की जाये कि "केता इसका संग्रहण एवं उपयोग अपनी देखरेख में और अपनी जवाबदारी पर करेगा। यदि किसी अन्य के द्वारा इसका गलत उपयोग किया जाता है तो केता इसके लिए प्राथमिक रूप से उत्तदायी होगा।
- लेबल पर केता के परमिट का कमांक एवं दिनांक।

4.10.2 पैकेट की सील इस प्रकार लगाई जायेगी कि उसके टूटने पर ही एसिड का उपयोग किया जा सके अर्थात एक बार सील टूटने के बाद फिर से उसी सील का उपयोग नहीं किया जा सके।

4.11 एसिड विकय एवं स्टॉक संग्रहण आदि के नियमित निरीक्षण एवं निगरानी रखने का उत्तरदायित्व जिले में पदस्थ निम्नांकित अमले को भी सौंपा जाता है। निरीक्षण के समय प्राधिकृत अधिकारी विकय पंजी के साथ ही मूल परमिट, पहचान पत्रों की छायाप्रति तथा स्टॉक पंजी का अवलोकन कर उनका सत्यापन भी अनिवार्यतः करेंगेः–

1. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मध्यप्रदेश।
2. जिले में पदस्थ समस्त राजस्व अधिकारीगण जो नायब तहसीलदार स्तर से कम न हो ।
3. जिले में पदस्थ समस्त पुलिस अधिकारीगण जो उप निरीक्षक स्तर से कम न हो ।
4. जिले में पदस्थ समस्त स्वास्थ्य अधिकारीगण जो सहायक चिकित्सा अधिकारी स्तर से कम न हो।
5. समस्त औषधि निरीक्षक, मध्यप्रदेश।
6. समस्त खाद्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश।

4.12 लायसेन्स, परमिट, स्टॉक विवरण प्रेषण आदि के लिये ऑनलाइन सेवा प्रारंभ करने की कार्यवाही पृथक से जारी है। ऑनलाइन सेवा प्रारंभ करने पर उसके उपयोग बाबत् विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

5. एसिड पीड़ित को ईलाज एवं मुआवजे के लिये अनुग्रह राशि देने संबंधी विस्तृत निर्देश तथा योजना विधि विभाग द्वारा पृथक से प्रसारित किये जा रहे है। इन निर्देशों तथा योजना के अनुसार एसिड पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर राशि देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों, विष अधिनियम, विष नियम तथा उक्त निर्देशों का शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाये। की जाने वाली समस्त कार्यवाही की नियमित रूप से समीक्षा की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

16/1/14

(डॉ0 ग़नी अहमद् खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ10–5/2014/सत्रह/मेडि–2 भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2014

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. सचिव(समन्वय) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
7. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
13. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मध्यप्रदेश।

सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थों, जो इस विषय से संबंध रखते हैं, को आवश्यक दिशा–निर्देश प्राथमिकता पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

16/1/14

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग